न्यायालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।
उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।
नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या–342 / 2026
अरूण सिंह उर्फ अरूण कुमार सिंह बनाम् बिहार सरकार
करताहॉ थाना कांड सं0–13 / 2026
अधीन धारा–126(2), 115(2), 76, 109, 303(2), 352, 3(5) भारतीय न्याय संहिता।

02-04-2026 करताहॉ थाना कांड संख्या–13 / 2026, भारतीय न्याय संहिता की धारा–126(2), 115(2), 76, 109, 303(2), 352, 3(5) में अभिरक्षाधीन आवेदक **अरूण सिंह उर्फ अरूण कुमार सिंह उम्र–44 वर्ष पेसर–स्व0 रामदेव सिंह** साकिन–करताहॉ खजुरिया, थाना–करताहॉ, जिला–वैशाली, जो दिनांक–24.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है, के तरफ से धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत दाखिल नियमित जमानत आवेदन पत्र पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता **श्री राजेश्वर सिंह** तथा राज्य के तरफ से विद्वान लोक अभियोजक **श्री श्यामबाबु राय** को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

जमानत आवेदन की कण्डिका 02 में उल्लिखित है कि आवेदक के तरफ से पूर्व में अग्रिम जमानत आवेदन सं0–571 / 2026 दाखिल किया गया था जिसे वापसी के आधार पर खारिज किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन का कथानक यह है कि दिनांक–30.01.2026 को समय करीब 04.30 बजे शाम में सूचक अपने घर के पीछे कुछ काम कर रहा था तभी उसके पड़ोसी अरूण सिंह, साहिल कुमार, सुनीता देवी एवं मुस्कान कुमारी सभी एकजुट होकर अपने हाथ में लोहे के रड, लाठी एवं डंडा लिये था, सूचक के साथ मारपीट करने लगा। विरोध करने पर साहिल कुमार लोहे के रड से सूचक के सर पर वार किया। सूचक की पत्नी बीच–बचाव करने आयी तो सभी अभियुक्तगण मिलकर उसके साथ भी मारपीट किये और उसका कपड़ा फाड़ दिये जिससे वह अर्धनग्न हो गई। सूचक की पत्नी के कान से सोने का झुमका सुनीता देवी लेकर भाग गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदक दिनांक–24.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक निर्दोष है तथा आरोपित कोई अपराध नहीं किया है। उसे मिथ्या रूप से इस मामला में पट्टीदारी के मतभेद के कारण फंसाया गया है। उनका यह भी कथन है कि अभियोजन कथानक पूर्णतः मनगढ़न्त है। आवेदक के विरूद्व करताहॉ थाना कांड सं0–13 / 2026 लंबित है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि सूचक और आवेदक आपस में रिश्तेदार है क्योंकि वे भतीजा और चाचा है। निवेदित है, आवेदक को नियमित जमानत का लाभ दिया जाय।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदक के नियमित जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन, मूल अभिलेख, कांड दैनिकी 01 से 81 एवं उसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदक

Web Copy Not Official

न्यायालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या–342/2026

अरूण सिंह उर्फ अरूण कुमार सिंह बनाम् बिहार सरकार

लगातार

02.04.2026 प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है जिन पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर लोहे के रड, लाठी एवं डंडा से लैश होकर सूचक के साथ मारपीट करने, सूचक के सर पर लोहे के रड से मारने, सूचक की पत्नी के साथ मारपीट कर उसे अर्धनग्न करने एवं सूचक की पत्नी के कान से सोने का झुमका लेकर भाग जाने का आरोप है। घटना का समर्थन कांड दैनिकी की कंडिका 05, 06, 12 एवं 13 में अंकित बयान में साक्षियों द्वारा किया गया है। लेकिन उक्त साक्षियों द्वारा सूचक की पत्नी के साथ मारपीट कर उसे अर्धनग्न करने एवं उसके कान से सोने का झुमका लेकर भाग जाने की बात का समर्थन नहीं किये है। साथ ही कांड दैनिकी की कंडिका 12 एवं 13 में अंकित साक्षी राकेश कुमार सिंह एवं राहुल कुमार के बयान से स्पष्ट है कि सूचक द्वारा बैर का पेड़ जिस पर फल लगा था, काटकर गिराया गया था जो अभियुक्त के खेत में गोभी लगा खेत में गिरा जिससे आवेदक के खेत का नुकसान हुआ जिसके कारण आवेदक की पत्नी ने गाली–गलौज की तो उक्त घटना कारित हुई। कांड दैनिकी की कंडिका 71 में जख्मी राज कुमार सिंह (सूचक) का जख्म प्रतिवेदन अंकित है जिसमें चिकित्सक द्वारा उसके खोपड़ी के दाहिने पार्श्रिका क्षेत्र पर लगभग 03 सेमी x 0.5 सेमी आकर का एक फटा हुआ घाव एवं दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली के आधार के पास पृष्ठीय भाग पर लगभर 1 सेमी x 1 सेमी आकर का एक खरोंच पाया गया है और उक्त जख्म को चिकित्सक द्वारा साधारण प्रकृति का कठोर एवं कुंद वस्तु से कारित जख्म पाया गया है। आवेदक इस मामले में दिनांक–24.02.2026 से कारा में निरूद्व है।

अतः मामले के तथ्यों, उभय पक्षों के तर्कों तथा वाद की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये आवेदक को नियमित जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त नामित आवेदक को मो0 10,000/– की समान राशि के दो प्रतिभू के साथ जमानत बंध पत्र दाखिल करने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतुष्टि पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web Copy Not Official

न्यायालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या–342 / 2026

अरूण सिंह उर्फ अरूण कुमार सिंह बनाम् बिहार सरकार

आदेश पर नियत की तिथि	02.04.2026
आदेश की तिथि	02.04.2026
अपलोड करने की तिथि	04.04.2026
अपलोड करने वाले	प्रेम रंजन कुमार सिंह, आशुलिपिक

Web copy not Official